पंचायती राज विभाग।

प्रेषक,

प्रधान सचिव (पंचायती राज)
हिमाचल प्रदेश सरकार,
शिमला–171002.

प्रेषितः

1. समस्त जिला पंचायत अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।
2 समस्त खण्ड विकास अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

शिमला–171009 दिनांकः 6 जनवरी,2018

विषयः 14वॉ वित्तायोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान के उपयोग हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर विभाग द्वारा 14वा वित्तायोग की अनुदान राशि व्यय करने हेतु दिनांक 31.12.15, 22.4.16, 27.5.16 व 4.10.17 को जारी दिशा निर्देशों में दर्शाये गए कार्यो पर अनुदान राशि व्यय करने हेतु मुझे आपको सूचित करने के निर्देश हुए है कि 14वें वित्तायोग अनुदान के अन्तर्गत प्राप्त राशि के उपयोग में निम्न विवरण अनुसार सैक्टर वार व्यय को प्राथमिकता प्रदान करना सुनिश्चित किया जायेः–

क्र0 सं0	विकास क्षेत्र (सैक्टर)	कुल प्राप्त अनुदान में से व्यय की प्रतिशतता
1	तरल एवं ठोस कचरा के निपटान एवं निकास ।	25 प्रतिशत
2	गंद जल निकासी कूड़ा–करकट के निपटान एवं साफ–सफाई की उचित व्यवस्था ।	
3	सेप्टेज एवं सीवेज प्रबन्धन ।	15 प्रतिशत
4	पेयजल व्यवस्था ।	10 प्रतिशत
5	स्ट्रीट लाईटों का उचित प्रबन्ध तथा रख–रखाव ।	30 प्रतिशत
6	सड़कों तथा फुटपाथों का रखरखाव व निर्माण	
7	कब्रिस्तानो तथा शमशान स्थलों का रख–रखाव व प्रबन्धन	
8	सार्वजनिक परिसम्पतियों निर्माण व रख–रखाव ।	10 प्रतिशत
9	तकनीकी व प्रशासनिक सहयोग।	10 प्रतिशत
10	अन्य मूलभूत सुविधायें।	

ग्राम पंचायतों की वार्षिक विकास योजनाओं के निर्माण के समय उपरोक्त सारणी के अनुसार योजनाओं/कार्यो का चयन किया जाए । उक्त दिशा–निर्देशो की प्रतिलिपि समस्त ग्राम पंचायतों को अनुपालनार्थ भी प्रदान की जाए । यह निर्देश आगामी वित्तीय वर्ष अर्थात 2018–19 की वार्षिक योजना उक्त क्षेत्रवार निर्धारित राशि के अनुसार तैयार की जाएगी । उपरोक्त के अतिरिक्त यदि आवश्यक हो तो इन कार्यो को उक्त निर्धारित प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए मनरेगा/स्वच्छ भारत मिशन/पी.एम.के.एस.वाई. तथा अन्य विभागों की योजनाओं के साथ सम्मलित (कनवरजेंस) भी किया जा सकता है ।

भवदीय,

R. Selvam 5/1/18

निदेशक एवम् पदेन सचिव(पं0 रा0)
हिमाचल प्रदेश सरकार,शिमला–9